

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर



अवेक गण के  
विषय अधिभाष्य  
श्री अरुणदेव पांडेय  
ए. सी. वा. ए.  
दिनांक 10.9.12

- 1- रामरक्षा पिता रामकरण कुशवाहा
- 2- रामसनेही पिता रामकरण कुशवाहा
- 3- रामानन्द पिता रामकरण कुशवाहा
- 4- छोटे पिता मंगल कुशवाहा
- 5- खुलालू पिता मंगल कुशवाहा
- 6- प्राणनाथ पिता मंगल कुशवाहा

R-3787-III

सभी निवासी ग्राम बेल्दह, तहसील व जिला सिंगरौली म०प्र०,  
:---- निगरानीकर्तागण

बनाम

- 1- श्रीमती कंशकुंवर पत्नी स्व. रामकिशन खैरवार
- 2- श्रीमती शांति कुमारी सिंह पत्नी स्व. रामकिशन खैरवार
- 3- विन्दुमती सिंह पत्नी स्व. रामकिशन खैरवार
- 4- विजय बहादुर सिंह पिता स्व. रामकिशन खैरवार

सभी निवासी ग्राम पंजरेह, तहसील व जिला सिंगरौली म०प्र०,

:---- गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर जिला  
सिंगरौली म०प्र०. प्रकरण क्र. 6/अपील/11-12.

आदेश दिनांक 10.7.2012,




निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० श्रू राजस्व  
संहिता 1959 ई.।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-3787-I/12

जिला-सिंगरौली

रामरक्षा कुशवाहा/श्रीमती केशकुंवर खैरवार

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनूपदेव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 6/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">               (बी.एम.शर्मा)            सदस्य         </p> <p style="text-align: left;">  </p>	